पत्रांक– का० प्र०/कम्प्यूटर-03/2017– 4113

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना।
अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव,
भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
प्रधान सचिव,
लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।
सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

B.O.
31/05

पटना, दिनांक 08-05-19

विषयः– **राजस्व के रूप में प्राप्त राशि को सीधे राजस्व प्राप्ति के लिए विहित बजट कोड में जमा कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि 01.04.2019 से कार्य प्रमंडलों एवं वन प्रमंडलों के लिए प्रेषण शीर्ष–8782 के माध्यम से राशि जमा करने एवं भुगतान करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गयी है। अतः अब राजस्व के रूप में प्राप्त राशि प्रेषण शीर्ष–8782 में जमा नहीं की जायेगी अपितु चालान के माध्यम से सीधे विभागीय बजट शीर्ष में जमा की जायेगी। यथा सड़क कांटने और पेट्रोल पंप से लिये जाने वाला सड़क सेवा शुल्क आदि की राशि पथ निर्माण विभाग के मुख्य शीर्ष – सड़क तथा सेतु–1054, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष – सेवाएँ तथा शुल्क–501, उप शीर्ष – अन्य मदें–0002 विषय शीर्ष–00–16 सेवा शुल्क बजट कोड R1054005010002 00 – 16 में सीधे चालान से जमा की जायेगी।

2. राज्य सरकार द्वारा सरकारी खजाने में राशि जमा कराने हेतु Online Government Revenue Accounting System (o-GRAS) संस्थापित किया गया है जिसपर एक्सेस कर कहीं से कभी भी आम आदमी/संवेदकों/प्रमंडलीय पदाधिकारियों द्वारा नेट बैंकिंग के माध्यम से राशि जमा करायी जा सकती है। जमाकर्ताओं द्वारा o-GRAS से भौतिक चालान सृजित कर चयनित बैंक शाखा में भी ड्रॉफ्ट या चेक के माध्यम से राशि जमा करायी जा सकती है। इसके अतिरिक्त

पूर्व से जारी मैनुअल चालान द्वारा कोषागार संबंधित से लिंक बैंक में राशि जमा करायी जा सकती है।

3. o-GRAS साईट पर नेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। जमाकर्ता इस पोर्टल पर अपना निबंधन करा सकते हैं या Guest User के रूप में बिना निबंधन के भी लौगिन कर सकते हैं।

4. इस हेतु आवश्यक है कि कार्य विभागवार प्राप्ति हेतु विहित बजट कोड तथा सभी कार्यालयों को o-GRAS में प्रविष्टि करना होगा।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीन क्षेत्रीय कार्य/वन प्रमंडलीय कार्यालयों एवं उनसे संबंधित कोषागारों की सूची तथा प्राप्ति हेतु विहित बजट कोड की सूची वित्त विभाग को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय ताकि इन्हें o-GRAS डाटा बेस में डाला जा सके। इस संबंध में विशेष जानकारी के लिए श्री कामेश्वर ओझा, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

विश्वासभाजन,

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।